

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि: 05 दिसंबर 2024
निर्णय उद्घोषित करने की तिथि: 27 जनवरी 2025

आ.प्र.अ. 363/2024, सि.वि.आ. 68025/2024 (दिनांक 14.11.2024
के आदेश का स्थगन)

FAO 363/2024, CM APPL. 68025/2024 (stay of order
dated 14.11.2024)

रितु पाहवा

.....अपीलकर्ता

द्वारा:

श्री शेखर गुप्ता, श्री अरव
कपूर और श्री शशांक
उपाध्याय अधिवक्तागण

बनाम

पायल कश्यप और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा:

श्री विकास सिंह, वरिष्ठ
अधिवक्ता, सह श्री विकार
अरोड़ा, श्री अभय, श्री दीपक
कालिया, सुश्री वसुधा सिंह और
श्री संदीप चंद्र प्रत्य-1 के
अधिवक्ता श्री तुषार सन्नू,
स्था.अधि. प्रत्य- 2/ एमसीडी के
लिए

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंदर डुडेजा

निर्णय

न्या. श्री रविंदर डुडेजा

1. यह अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ["सीपीसी"] के आदेश 43 नियम 1 (द) के अंतर्गत दायर की गई है, दिनांक 14.11.2024 को माननीय जिला न्यायाधीश-03, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा सि.वा. संख्या 227/2024, शीर्षक "ऋतु पाहवा बनाम पायल कश्यप एवं अन्य" में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सीपीसी के अंतर्गत दायर अंतरिम आवेदन, जिसमें अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध अपीलकर्ता के परिसर अर्थात् फ्लैट संख्या 70, मुनिरका एन्क्लेव, दिल्ली के निकट लिफ्ट निर्माण कार्य रोकने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की थी, को अस्वीकार कर दिया गया और पूर्व में प्रभावी एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त कर दिया गया।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ["डी.डी.ए."] ने सहकारी समूह आवास सोसाइटियों और डी.डी.ए. द्वारा निर्मित फ्लैटों में लिफ्ट लगाने हेतु अनुमति/एनओसी प्राप्त करने के लिए एक नीति को स्वीकृति दी। उक्त नीति के अनुसार, नगर निगम दिल्ली ["एमसीडी"] ने दिनांक 07.07.2022 को एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसके द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, डी-नोटिफाइड क्षेत्रों में

स्थित फ्लैटों के लिए एनओसी/अनुमति एमसीडी द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्रों के लिए आवश्यक अनुमति डी.डी.ए. द्वारा दी जाएगी।

3. कार्यालय आदेश दिनांक 07.07.2022 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सात मूलभूत सिद्धांतों द्वारा शासित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

- क) सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।
- ख) भवन, लिफ्ट और जहाँ भी लागू हो, जोड़ने वाले पुल की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ग) निवासियों के रहने योग्य कमरों की रोशनी और वेंटिलेशन प्रभावित नहीं होने चाहिए। जहाँ भी आवश्यक हो, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए (न्यूनतम आकार का) जोड़ने वाला पुल बनाया जा सकता है।
- घ) लिफ्ट के संचालन और रखरखाव, सुरक्षा जाँच तथा उससे संबंधित लागत का वहन प्रस्तावित सदस्य/सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- ङ) जहाँ तक संभव हो, सेवाओं का स्थानांतरण और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। जहाँ बिल्कुल आवश्यक हो, लिफ्ट शाफ्ट से लैंडिंग पॉइंट तक जोड़ने वाले पुल/पैदल मार्ग का प्रावधान किया जा सकता है।
- च) लिफ्ट को टैरेस तक नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जारी की गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शून्य हो जाएगी।
- छ) लिफ्ट-शाफ्ट और जोड़ने वाले पुल (यदि प्रदान किया गया हो) का ग्राउंड कवरेज और एफ.ए.आर. (FAR) को छूट दी जाएगी क्योंकि उपयोग किया गया एफ.ए.आर. वर्तमान/अनुमेय एफ.ए.आर. से कहीं कम है और यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा तथा भवनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के उद्देश्य से है।

4. जिस आवासीय भवन में अपीलकर्ता निवास करता है, उसमें भूतल (फ्लैट संख्या 70), प्रथम तल (फ्लैट संख्या 71), द्वितीय और तृतीय तल (फ्लैट संख्या 72) शामिल हैं, जो एक डुप्लेक्स फ्लैट है। अपीलकर्ता फ्लैट संख्या 70 के भूतल पर निवास करता है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वितीय और तृतीय तल पर स्थित फ्लैट संख्या 72 में निवासी है।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 18.07.2024 को सामान्य लिफ्ट और जोड़ने वाले पुल की स्थापना हेतु डी.डी.ए. फ्लैट संख्या 70 से 72 के लिए एम.सी.डी. से अनापत्ति प्रमाणपत्र [“एनओसी”] प्राप्त किया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लिफ्ट का निर्माण स्वीकृत योजना और प्रत्यर्थी संख्या 2/एम.सी.डी. द्वारा जारी एन.ओ.सी. का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि निर्माण अपीलकर्ता के निजता अधिकार का अतिक्रमण करता है, सामान्य क्षेत्रों तक पहुँच को बाधित करता है, आवश्यक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करता है, संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है और इस प्रकार अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति पहुँचाता है।

7. अपीलकर्ता ने लिफ्ट निर्माण के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई हैं:-

क) लिफ्ट का उद्घाटन भूतल पर अपीलकर्ता के कमरे की खिड़की के पास है। इस प्रकार, लिफ्ट का प्रवेश/निकास ठीक अपीलकर्ता के शयनकक्ष की खिड़की के बाहर होगा और आगमन/प्रस्थान के समय कोई भी व्यक्ति खिड़की से शयनकक्ष के भीतर देख सकता है, जिससे अपीलकर्ता के निजता अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ख) अपीलकर्ता के बाथरूम में प्रकाश पूरी तरह से बाधित हो जाएगा और दिन के समय भी उसे विद्युत प्रकाश के बिना उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, यह बाथरूम में वेंटिलेशन को भी प्रभावित करेगा।

ग) लिफ्ट का निर्माण स्टील सामग्री से किया जाना था, लेकिन स्वीकार्य रूप से स्थापना के लिए आर.सी.सी. और ईट का कार्य उपयोग किया जा रहा है, जो मौजूदा संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

घ) लिफ्ट और भवन की मौजूदा संरचना के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, लेकिन लिफ्ट का निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है कि लिफ्ट की संरचना और 45 वर्ष पुराने भवन के बीच कोई अंतराल नहीं है, जिससे भवन की संरचनात्मक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

ड) लिफ्ट टैरेस तक जाती है, और इसलिए एन.ओ.सी. निरस्त हो जाती है तथा लिफ्ट निर्माण जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो

07.07.2022 के कार्यालय आदेश और 18.03.2024 की एन.ओ.सी. की पूर्ण अवहेलना है।

च) लिफ्ट निर्माण के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवश्यक सर्विसेज़ को स्थानांतरित कर दिया है, जबकि इसके लिए संबंधित रेज़िडेंट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) नहीं लिया गया।

8. सामान्य लिफ्ट और जोड़ने वाले पुल की स्थापना हेतु 18.07.2024 को एन.ओ.सी. प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रस्ताव के आधार पर एम.सी.डी. द्वारा जारी की गई है। ऐसी एन.ओ.सी. कुछ शर्तों के अधीन है। एन.ओ.सी. की धारा-4 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि आवेदन में कोई असत्य कथन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का मिथ्या प्रतिपादन किया गया हो, जिसके आधार पर एन.ओ.सी. दी गई थी, तो एम.सी.डी. द्वारा एन.ओ.सी. निरस्त की जा सकती है। धारा-5 यह प्रावधान करती है कि लिफ्ट का निर्माण पूरा होने के बाद आर्किटेक्ट प्रमाणित करेगा कि निर्माण पूर्व में प्रस्तुत/स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार किया गया है और यह भवन उपविधियों तथा डी.डी.ए. द्वारा निर्मित समूह आवास फ्लैटों में लिफ्ट स्थापना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। धारा-10 के अनुसार भवन, लिफ्ट और जोड़ने वाले पुल की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। धारा-11 के अनुसार निवास के रहने योग्य कमरों की रोशनी और वेंटिलेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, धारा-14 यह प्रावधान करती है कि लिफ्ट टैरेस तक नहीं जानी चाहिए, अन्यथा जारी की गई

अनुमति/एन.ओ.सी. शून्य हो जाएगी। धारा-15 के अनुसार यदि कार्य की खुदाई के दौरान किसी सेवा का स्थानांतरण आवश्यक हो, तो आवेदक को रेज़िडेंट्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन से एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।

9. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त शर्तों के अनुपालन न होने पर ध्यान नहीं दिया, और इसलिए, विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

10. न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड, पक्षकारों की दलीलें और अभिलेख पर रखी गई सामग्री, जिसमें एम.सी.डी. की निरीक्षण रिपोर्ट, स्थल के फोटोग्राफ और पक्षकारों द्वारा दाखिल शपथपत्र शामिल हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। एन.ओ.सी. प्रदान करते समय स्वीकृत योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रस्तावित लिफ्ट किसी भी प्रकार से भूतल निवासी के शयनकक्ष की खिड़की को अवरुद्ध नहीं करती। शयनकक्ष से सटे वॉशरूम की खिड़की और लिफ्ट के बीच भी पर्याप्त स्थान है। अपीलकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. के अंतर्गत दाखिल आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ भी यह दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता की खिड़की अवरुद्ध नहीं हो रही है और इसी प्रकार वॉशरूम की खिड़की और लिफ्ट के बीच भी स्थान है। अतः अपीलकर्ता के रहने योग्य कमरे और वॉशरूम की रोशनी और हवा किसी भी प्रकार से लिफ्ट निर्माण से प्रभावित नहीं हो रही है।

11. स्वीकृत योजना के अनुसार, लिफ्ट और भूतल के कमरे की खिड़की सड़क की ओर मुख किए सामान्य क्षेत्र में खुलती है। खिड़की के बाहर का खुला क्षेत्र पहले से ही सार्वजनिक व्यक्तियों/निवासियों के लिए सुलभ है। इसलिए, मात्र लिफ्ट की स्थापना से भूतल निवासियों की निजता पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. अपीलकर्ता की निजता के उल्लंघन संबंधी चिंता पर ट्रायल कोर्ट ने विधिवत विचार किया। उसने नोट किया कि कमरे की खिड़की में जाली है और निजता के अतिरिक्त उपाय जैसे पर्दे या ब्लाइंड्स लगाना उचित है। न्यायालय ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत है कि ऐसे मामलों में निजता संबंधी चिंता को आधुनिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट की व्यावहारिक आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, विशेषकर बहुमंजिला आवासीय भवनों में।

13. मामले की लंबितावस्था के दौरान, अपीलकर्ता के अनुरोध पर ट्रायल कोर्ट ने एम.सी.डी. को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तदनुसार, एम.सी.डी. ने 04.10.2024 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि भौतिक निरीक्षण पर पाया गया कि अब तक किया गया कार्य अनुमति/एन.ओ.सी. के अनुरूप है और वास्तव में निर्मित क्षेत्र अनुमति/एन.ओ.सी. में प्रदत्त क्षेत्र से कम पाया गया। हालांकि, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि लिफ्ट की संरचना स्टील संरचना के स्थान पर

आर.सी.सी. और ईंट के कार्य से बनाई गई है और इसी कारण प्रत्यर्थी को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

14. वाद के दौरान, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने 24.10.2024 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज एम.सी.डी. के सहायक अभियंता के बयान की प्रति प्रस्तुत की।

उक्त कथन इस प्रकार है:-

"यह तथ्य अप्रासंगिक है कि लिफ्ट की संरचना आर.सी.सी. से बनी है और स्टील से नहीं, जैसा कि स्वीकृत योजना में प्रस्तावित था। एम.सी.डी. की केवल यही आवश्यकता है कि संरचना स्थिर हो और इस उद्देश्य के लिए, संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को प्रमाणित एवं पैनल में शामिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर/आर्किटेक्ट द्वारा जारी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। आर.सी.सी. सामग्री और ईंटें भी अनुमोदित बी.आई.एस. सामग्री हैं। लिफ्ट भवन की टैरेस तक नहीं बनाई गई है। टैरेस वह है जो भवन की शीर्ष स्लैब के ऊपर होती है।"

15. यद्यपि प्रत्यर्थी ने प्रारंभ में प्रस्तावित किया था कि लिफ्ट की संरचना स्टील की होगी, लेकिन बाद में उसने आर.सी.सी. और ईंट के कार्य से लिफ्ट का निर्माण किया। किंतु, जैसा कि एम.सी.डी. के सहायक अभियंता के बयान से स्पष्ट है, आर.सी.सी. सामग्री और ईंट का कार्य भी अनुमोदित बी.आई.एस. सामग्री है, और इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है। इसके अतिरिक्त, एन.ओ.सी. के अनुसार, लिफ्ट का निर्माण पूरा होने पर प्रत्यर्थी को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

प्राप्त किया जा सके और लिफ्ट को उपयोग में लाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जा सके।

16. एम.सी.डी. के कार्यालय आदेश दिनांक 07.07.2022 की धारा 4(क)(ii) यह प्रावधान करती है कि लिफ्ट की संरचना मौजूदा भवन संरचना से स्वतंत्र होनी चाहिए और एक जोड़ने वाले पुल के साथ होनी चाहिए ताकि मौजूदा संरचना की स्थिरता प्रभावित न हो। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा दाखिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट्स की विरोधाभासी रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल फोटोग्राफ से प्रतीत होता है कि भवन की मौजूदा संरचना और लिफ्ट संरचना के बीच कोई अंतराल नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह देखा कि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल फोटोग्राफ, जो आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन के साथ पृष्ठ संख्या 16, 32 और 34 पर संलग्न हैं, में मौजूदा संरचना और लिफ्ट संरचना के बीच एक छोटा अंतराल दिखाई देता है और यह अंतराल प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्ट्रक्चरल इंजीनियर/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट में सम्मिलित फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है

17. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त स्थिति का कारण यह बताते हुए समझाने का प्रयास किया कि दीवार की प्लास्टरिंग के दौरान अतिरिक्त प्लास्टर लिफ्ट की दीवार और मौजूदा संरचना के बीच फँस गया था, जिसके कारण पहले लिए गए फोटोग्राफ में अंतराल दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब चूँकि अतिरिक्त प्लास्टर हटा दिया गया है, इसलिए बाद में लिए गए और अपीलकर्ता

द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में ऐसा अंतराल दिखाई दे रहा है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई यह व्याख्या यथोचित प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एम.सी.डी. द्वारा तैयार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं, में भी लिफ्ट और मौजूदा संरचना के बीच 0.2 मीटर का अंतराल दर्शाया गया है। धारा 4(क)(ii) यह निर्दिष्ट नहीं करती कि उपयुक्त अंतराल कितना होना चाहिए। लिफ्ट के आर.सी.सी./ईट कार्य का अतिरिक्त भार मौजूदा संरचना पर नहीं पड़ रहा है और इसलिए 07.07.2022 के एम.सी.डी. आदेश की धारा 4(क) का कोई उल्लंघन नहीं है।

18. एन.ओ.सी. की धारा-14 यह प्रावधान करती है कि लिफ्ट टैरेस तक नहीं जानी चाहिए, अन्यथा जारी की गई अनुमति/एन.ओ.सी. शून्य हो जाएगी। 18.03.2024 की एन.ओ.सी. के साथ संलग्न स्वीकृत साइट योजना भवन के भूतल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर निर्माण दर्शाती है। उक्त योजना के अनुसार, लिफ्ट भवन के तृतीय तल पर उतरती है। अतः लिफ्ट का निर्माण तृतीय तल तक करना एन.ओ.सी. का उल्लंघन नहीं है। यह तथ्य एम.सी.डी. के सहायक अभियंता के बयान से भी पुष्टि होता है कि लिफ्ट भवन की टैरेस तक नहीं बनाई गई है, क्योंकि टैरेस वह है जो भवन की शीर्ष स्लैब के ऊपर होती है।

19. यह स्वीकार किया गया है कि आवश्यक सेवाओं के स्थानांतरण हेतु रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, जैसा

कि 18.03.2024 की एन.ओ.सी. की धारा-15 में भी निर्देशित है। 04.10.2024 की एम.सी.डी. रिपोर्ट आवश्यक सेवाओं के स्थानांतरण के विषय में स्पष्ट रूप से मौन है और इस संबंध में आर.डब्ल्यू.ए. की ओर से भी कोई शिकायत प्रतीत नहीं होती। लिफ्ट निर्माण के कारण आवश्यक सेवाओं को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया है या नहीं, यह प्रश्न केवल साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है।

20. ट्रायल कोर्ट ने निर्माण की अवस्था को उचित रूप से ध्यान में रखा है। लिफ्ट स्थापना कार्य का 75% से अधिक भाग पहले ही पूरा हो चुका है, ऐसे में परियोजना को रोकना या संरचना को तोड़ना इस चरण में निश्चित रूप से अधिक हानि पहुँचाएगा, न केवल प्रत्यर्थी को बल्कि भवन के अन्य निवासियों को भी, जो लिफ्ट से लाभान्वित होंगे। निर्माण रोकने से लिफ्ट की मौजूदा संरचना जीर्ण-शीर्ण हो सकती है और निवासियों तथा राहगीरों के लिए असुरक्षित भी बन सकती है। अतः सुविधा का संतुलन विधिक मानकों के अनुपालन के अधीन निर्माण को पूरा करने की अनुमति देने में ही निहित है।

21. अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के सिद्धांतों, यानी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय नुकसान को ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित रूप से अनुप्रयोग किया गया है। इस संबंध में पूर्ववृत्तों पर निर्भरता रखी गई है जैसे कि दीपक शर्मा बनाम डीडीए 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 4561 और मीरा जैन बनाम सुंदरी देवी गर्ग (1995) 6 एस.सी.सी. 229, आगे इसके तर्क को और

सुदृढ़ करती है कि सार्वजनिक हित और वैधानिक अनुमोदनों का अनुपालन व्यक्तिगत शिकायतों से अधिक महत्व रखता है, बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हों।

22. उपरोक्त के आलोक में, ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाई जाती। अतः अपील निरस्त की जाती है। तथापि, अपीलकर्ता को ट्रायल चरण में अपनी आपत्तियाँ उठाने और उनके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

23. ट्रायल कोर्ट मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करेगा, इस आदेश या विवादित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर।

24. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

न्या. श्री रविंदर डुडेजा

27 जनवरी, 2025

आरएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।